

HPFD-F05/152/2023-FCA

वन विभाग हिमाचल प्रदे ।।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
उप-कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फैशलिक खण्ड,लौगबुड़,
फैमला, हिमाचल प्रदे ।-१७१००१

दिनांक फैमला-१

विषय: **Diversion of 1.92 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link Road from Chillon To Choki Mirgwal (KMS. 0/00 to 8/00), within jurisdiction of Sri Renukaji Forest Division, District Sirmour HP. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/48987/2020).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 22/06/2024 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विशयाधिन प्रस्ताव को सैन्द्रहातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्रहातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :—

शर्त	उत्तर
प॑ वे भाँति जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आव यकता है।	प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राँ । जमा करावा ली है।
प॒ प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राँ । जमा करावाई जाए।	
प॑प॒ राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे गों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे गों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।
प॑प॒प॒ WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे । दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे । संख्या 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.92 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करावाई जाए।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे । दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे । संख्या 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.92 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करावाई जाए।
प॑प॒प॒ प्रयोत्का ऐजेंसी सभी भुगतान रा गी पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करावाई जाए।	प्रयोत्का ऐजेंसी सभी भुगतान रा गी पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करावाई जाए।
अ॒ पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट म.चवतजंस	अ॒प॒ पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट म.चवतजंस (https://parivesh.nic.in/)

	(https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की जाए।	मे अपलोड कर ली है।_
अपपण	प्रयोत्का एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राई को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहीं किया जाएगा ।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा की गई है और केवल उपयुक्त बैंक में यह रा पी जमा कर ली है।
अपपण	प्रयोत्का एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभांग मे कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की भार्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आ पाय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मजूरी के लिए अनिवार्य होगा ।	इस आ पाय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
पगण	FRA 2006 की अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।	FRA 2006 का अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।
1ण	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। इस सम्बन्ध मे प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
2ण	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्तां किसी भी रूप मे प्रस्ताव मे दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा ।	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्तां किसी भी रूप मे प्रस्ताव मे दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध मे प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
3ण	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी०ए० योजना के 3.84 ha पर पौध रोपण का कार्य Block/compartment/Survey No-Sataun Sataub C-3, 53F/10,KaffotaForest Range, Renukaji Forest Division, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्ष रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी०ए० योजना के 3.84 पर पौध रोपण का कार्य Block/compartment/Survey No-Sataun Sataub C-3, 53F/10,KaffotaForest Range, Renukaji Forest Division, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh, पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्ष रोपण किया जाएगा तथा स्थानीय दे पी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का Monocultural नहीं होगा।
4ण	प्रस्तावित सी०ए० भूमि, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे सम्बंधित दस्तावेज,अन्यथा IFA, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।	प्रस्तावित सी०ए० भूमि, सम्बन्धित दस्तावेज प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अपलोड की गई अनुपालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
5ण	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल मे प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के०ए०ए०ल० फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्धता संलग्न है।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल मे प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के०ए०ए०ल० फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्धता संलग्न है।
6ण	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव मे द ाए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव मे द ाए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध मे प्रयोक्ता

नहीं किया जायेगा।	अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
7 <u>प</u> माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राहि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राहि को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी राहि करना सुनिश्चित करेंगे।	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राहि को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी राहि करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
8 <u>प</u> Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect shall be submitted.	The user agency has deposited the lump sum amount of the SMCP i.e. 0.5 percentage of the total cost of the project.
9 <u>प</u> State govt shall abide by all the conditions/protection measures stipulated in the Asst. Geologist report.	State govt shall abide by all the conditions/protection measures stipulated in the Asst. Geologist report. Undertaking in this regard is furnished by UA.
10 <u>प</u> State Govt shall provide the copy of final approved DPR	The copy of final approved DPR is attached herewith as Annexure-18 with the compliance report of Stage-I approval of UA.
11 <u>प</u> एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
12 <u>प</u> स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य ऐजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य ऐजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
13 <u>प</u> केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले—आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रिय सरकार कि अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
14 <u>प</u> वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक विवर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक विवर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
15 <u>प</u> प्रयोत्का ऐजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोत्का ऐजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनरा राहि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोत्का ऐजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोत्का ऐजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनरा राहि उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
16 <u>प</u> परियोजना कार्य के निशादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निशादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
17 <u>प</u> प्रयोत्का ऐजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोत्का ऐजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
18 <u>प</u> प्रयोत्का ऐजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोत्का ऐजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

19 ^ए स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिंडे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंबों द्वारा चिन्हित की जाएंगी।	सीमांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिंडे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंबों द्वारा चिन्हित की जाएंगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
20 ^ए संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।
21 ^ए प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएंगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएंगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
22 ^ए यदि आब यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आब यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
23 ^ए परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जाएगा। मलवा निस्तारण स्थल पर द गाए गए वृक्षों का पतन नहीं किया जाएगा।	परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
24 ^ए इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
25 ^ए अन्य कोई भी भारत इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
26 ^ए यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे ।/अनुच्छेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
27 ^ए इनमें से किसी भी भारत का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दि ानिंदे । 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल अफिसर एवं प्र० मुख्य
अरण्यपाल(एफ०सी०ए०)हि०प्र०